कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)
E-mail :corporationraigarh@gmail.com
Phone No:- 07762-222911

क्रमांक 9809 / जल वि. / न.पा.नि. / 2025 रायगढ़, दिनांक 12 / 12 / 2025

–: ई–प्रोक्योरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना :–

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत समस्त वार्डो में (आवश्यकतानुसार) पाईप लाईन संबंधित विस्तार, मरम्मत व फीटिंग कार्य, कार्य की लागत राशि **15.00/-** लाख रु., अमानत राशि 11,500.00/- रू., निविदा प्रपत्र शुल्क 750.00/- रू. हेतु लागू SOR (CG PHE SOR 2020 and PHE SOR 2022-23 Amendment No. 07) से कम/अधिक अथवा समान दर पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार (डी वर्ग या उससे ऊपर) से निविदा प्रपत्र "अ" में दे होगा। उपरोक्त कार्य की सामान्य शर्ते, विस्तृत निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी System Tender No. ...181709...... ई–प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.govt.in/ uad.cg.gov.in /WWW.nagarnigamraigarh.com से देखी जा सकती है, निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से एवं अन्य दस्तावेज दिनांक 06.01.26......अपरान्ह 04:00 बजे तक स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डाक से मुहर बंद पद्धति से आमंत्रित की जाती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र. 9809 / जल वि. / न.पा.नि. / 2025 रायगढ़, दिनांक 12.12.2025
प्रतिलिपि :–

1. मान. महापौर/सभापति/प्रभारी जल सदस्य (MIC) महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. प्रोगामर डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
4. प्रभारी जनसंपर्क नगर पालिक निगम, रायगढ़ को विज्ञापन देने कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
5. संपादक दैनिक समाचार पत्र .... को .... से.मी. में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. आवक शाखा, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
7. कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

–: नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत समस्त वार्डो में (आवश्यकतानुसार) पाईप लाईन संबंधित विस्तार, मरम्मत व फीटिंग कार्य के नियम एवं शर्ते (वित्तीय वर्ष 2025–26) :–

1. निविदा प्रपत्र नगर निगम रायगढ़ की वेबसाईट www.nagarnigamraigarh.com से निविदा प्रपत्र फॉर्म A को डाउनलोड कर निर्धारित मूल्य का डिमांड ड्रॉफ्ट जो आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय हो, संबंधित कार्य का नाम, पूर्ण पता, विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
2. निविदा त्रि–लिफाफा पद्धिति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार है :–
   (i) प्रथम लिफाफा में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार (डी वर्ग या उससे ऊपर) का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आयकर विवरणी (वर्ष 2023–24, 2024–25, 2025–26), पेन नम्बर के प्रति, GST नम्बर तथा मांग किये गये अन्य तकनीकी दस्तावेज के साथ निर्धारित अमानत राशि टी.डी.आर./एफ.डी.आर./एस.टी.डी.आर/बैंकर्स चैक तथा निर्धारित प्रपत्र शुल्क डिमांड ड्रॉप्ट/बैंकर्स चैक के रुप में जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय हो, 100.00/- रु. नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर (annexure 13) देना होगा। प्रथम लिफाफा सही पाये जाने पर ही द्वितीय लिफाफा खोला जायेगा।
   (ii) द्वितीय लिफाफे में निर्धारित निविदा प्रपत्र पूर्ण रुप से तथा दर को अंको एवं शब्दो में स्पष्ट रुप से भरकर देना होगा।
   (iii) तृतीय लिफाफे में प्रथम लिफाफे एवं द्वितीय लिफाफे को रखकर सीलबंद कर (लिफाफे के उपर स्पष्ट रुप से निविदा क्र. लिखा होना चाहिए), स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में भेजना होगा एवं अन्य किसी माध्यम से जैसे व्यक्तिगत या कोरियर आदि से भेजे गये निविदा स्वीकार नही की जावेगी। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी और न ही खोली जावेगी तथा वापस कर दी जावेगी, डाक विलम्ब के लिए नगर पालिक निगम, रायगढ़ जिम्मेदार नहीं होगा।
3. निर्धारित तिथि पर अवकाश होने पर आगामी दिवस को मान्य किया जावेगा।
4. लिफाफा में स्टेपलर से पिन किया हुआ मान्य नहीं होगा एवं लिफाफा को सेलो टेप से पूर्णताः बंद करना होगा तभी मान्य होगा अथवा बंद लिफाफा पूर्ण रूप से चिपकाने अथवा स्टेपलिंग करने के बाद सेलो टेप से चिपकाना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकर द्वारा निविदा दर समस्त करों सहित उल्लेखित की जावे। नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा स्वीकृत निविदा दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. निर्धारित समयावधि में इकरारनामा नही करनें पर आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. नियम एवं शर्ते अनुबंध का एक भाग होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
9. कार्य के संबंध में नगर पालिक निगम अधिनियम/कार्य विभाग मेन्युअल/भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संसोधित 2022) समान रुप से प्रभावशील एवं बंधनकारी रहेगें।
10. उक्त कार्य में उपयोग किये जाने वाले सामग्री उच्च गुणवत्ता (ISI/ISO मार्क रजिस्टर्ड कंपनी) की होनी चाहिए।
11. कार्य प्रारंभ नही करने या अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा निवदाकार को आगामी 06 माह के लिए किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जावेगा।
12. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व, स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न होवें।
13. कार्यादेश देने के 07 दिवस भीतर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि जब्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
14. निविदा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत समस्त वार्डो में (आवश्यकतानुसार) पाईप लाईन संबंधित विस्तार, मरम्मत व फीटिंग कार्य यथा विभिन्न मद जैसे– मरम्मत संधारण, निगम मद, पार्षद मद एवं जल कष्ट मद से कार्य किये जाने हेतु किया गया है, जिसमें आवश्यकता अनुरुप कार्यादेश प्रदान कर भुगतान किया जावेगा। इस अवधि में मूल्य वृद्धि के लिए ठेकेदार स्वयं जिमेदार रहेंगे, भुगतान की कार्यवाही अनुबंध के दर के अनुरुप ही की जावेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)